आदिवासी जनजाति के अधिकार

नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण
पुस्तिका श्रृंखला
६

संवैधानिक संवाद केन्द्र
CENTRE FOR CONSTITUTIONAL DIALOGUE

संवैधानिक संवाद केन्द्र

प्रकाशक

संवैधानिक संवाद केन्द्र

पहला संस्करण : २०६५ साल

प्रतिलिपि अधिकार ©संवैधानिक संवाद केन्द्र सर्वाधिकार सुरक्षित ह । सामाग्री कें स्रोत के रुप में संवैधानिक संवाद केन्द्र के प्रति साभार व्यक्त कके गैरव्यवसायिक प्रयोजन खातिर ई पुस्तिका के अंश के पुनःप्रकाशन आ/वा अनुवाद के एगो प्रति संवैधानिक संवाद केन्द्र के उपलब्ध करावें के पडी ।

साज सज्जा आ मुद्रण

प्रिन्ट प्वाइन्ट पब्लिसिङ, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौ ।

ज्यादा जानकारी खातिर वा ई पुस्तिका खातिर नीचे दिहल पता में सम्पर्क कइल जाय ।

संवैधानिक संवाद केन्द्र

तीसरा तला, अल्फा वेटा कम्प्लेक्स, नयाँ बानेश्वर काठमाडौ ।

टेलिफो नं ९७७-१-४७८५४६६/४७८५४८६/४७८५९९८

ई-मेल : info@ccd.org.np

वेबसाइट : www.ccd.org.np

आदिवासी जनजाति के अधिकार

६

आदिवासी जनजाति के अधिकार १
परिचय १
आधारभूत अवधारणा आ परिभाषा २
नेपाल के आदिवासी जनजाति ३
अन्तरराष्ट्रीय मापदण्ड ५
नेपाल में विद्यमान कानूनी आ नीतिगत संयन्त्र ६
निष्कर्ष ८

आदिवासी जनजाति के अधिकार

परिचय

नेपाल में अबहीन आदिवासी जनजाति के अधिकार सम्बन्धी विषय अग्रस्थान में आइल बा आ खास कके नयाँ संविधान लेखन के सन्दर्भ में ई गहन बहस के विषय भइल बा। ई विस्तृत रूप में राजनीतिकृत मुद्दा भइल बा। नेपाल के जनसंख्या के स्वरूप में जातीय विविधता उल्लेख्य रूप में रहल बा। कुल जनसंख्या के लगभग एक तिहाई से बेसी जनसंख्या आदिवासी जनजाति के बा। साथे एतहाँ बहिष्करण आ सीमान्तीकरण के लम्बा इतिहास के साथे विभिन्न जातीय समूहन के बीच स्पष्ट सामाजिक आ आर्थिक भिन्नता बा।

आदिवासी जनजाति सम्बन्धी प्राथमिक अन्तरराष्ट्रीय कानूनी संयन्त्र अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के आदिवासी जनजाति सम्बन्धी महासन्धि (अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन, नं १६९) अनुमोदन करेवाला संसार के २० गो देशन में एगो (आ एशिया के एकेगो) देश नेपाल ह। ई सन् २००७ के सेप्टेम्बर में एह महासन्धि के अनुमोदन कइले रहल। एही तरह से नेपाल में सन २००२ से एने आदिवासी जनजाति सम्बन्धी कानून भी सक्रिय रहत आइल बा। ई संयन्त्र आदिवासी जनजाति के समूह आ लोग के महत्वपूर्ण अधिकार सब प्रदान कइले बा। ई अधिकारन में आपन संस्था, जनजीवन आ आर्थिक विकास सम्बन्धी पक्षन पर नियन्त्रण कायम कर पावेके आ आपन पहचान कायम राखत ओकर विकास करेके अधिकार सब सामिल बा। एही तरह से आदिवासी जनजाति सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र-२००७ आउर दूरगामी भइला का साथे एह में बहुत बात समीटल गइल बा बाँकिर ई बाध्यकारी दस्तावेज नइखे। ई दस्तावेज आदिवासी जनजाति के अधिकार के विकास खातिर मूल सन्दर्भ आ पैरवी सामग्री भइल बा।

आदिवासी जनजाति के अधिकार सम्बन्धी बहस समाज के बहुत तह आ तप्का में सब वर्ग के बृहत सहभागिता, स्वशासन आ सशक्तीकरण के विषय पर सर्वसाधारण के ध्यानाकर्षण भी कइले बा। एतहाँ बहस के मतलब बा कि समग्र जनता के आकांक्षा से सन्तुलन कायम कके मानव अधिकार आ लोकतन्त्र के सामान्य सिद्धान्त का साथे एकीकृत, शासनीय आ समृद्ध नेपाल के स्थापना करेके लक्ष्य सहित नेपाल के आदिवासी जनजाति के जहाँ तक सम्भव बा, बृहत स्तर के स्वायत्तता के नयाँ संविधान का जरिए कइसे उत्कृष्ट रूप में प्रत्याभूत कइल जा सकेला आ कइसन संयन्त्रन से एकर प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित कइल जा सकेला।

आदिवासी जनजाति के न्यायोचित आवश्यकता आ आकांक्षा सब के समीटेके चुनौती के संसार के बहुत देश सामना करत बाटैं। आदिवासी जनजाति दशकन भा ओहू से अगाड़ी शदियन से सीमान्तीकृत होत आइल बा। हाले के बरीस में भी ओह लोग के गम्भीर अवस्था के सम्बन्ध में विश्वव्यापी रूप में चेतना के नयाँ विस्तार भइल बा। एक तरफ विगत में भइल अन्याय के

उल्टावल ना जा सकेला त दोसर तरफ ओह लोग के उपर भइल अन्याय के क्षतिपुर्ति दिलावेके उपाय पता लगावल भी चुनौती के रूप में रहल बा । नेपाल में एह विषय में संवैधानिक बहस के शुरूवात जरूर भइल बा । संवैधानिक स्वरूप आ व्यवस्था में रहेवाला सीमा सब के सम्बन्ध में भी सचेत भइला का अलावा संविधान अपने में एगो समाधान ना होके तात्कालिक समाधान का ओर ले जाएवाला एगो पक्ष मात्र हो सकेला एहू बात पर सचेत भइल जरूरी बा ।

आधारभूत अवधारणा आ परिभाषा

आदिवासी जनजाति सम्बन्धी एगो सब से कठिन आ विवादास्पद मुद्दा ओह लोग के परिभाषा कइल बा । बहुते अधिकार सामूहिक अधिकार के रूप में रहला के कारण ई विशेष रूप में सान्दर्भिक बा । परिभाषा में ऐतिहासिक व्याख्या, मानवशास्त्रीय आ सामाजिक पक्ष सब, कानूनी आधार (देश अनुसार अलग-अलग) आ सम्बन्धित समूहन के अपने परिभाषा जइसन पक्ष सब एह में सामिल बा ।

सामान्यतः आदिवासी जनजाति कहल शब्द से कौनो खास क्षेत्र के मौलिक बसीना अर्थात अबहीन के प्रभावशाली भा प्रभुत्व कायम कइल जातीय समूहन के आवे से भा सम्बन्धित राज्य/क्षेत्र के सीमाना तय होखे से पहिले से ओह स्थान पर बसल भा बसत आइल बसीना के बोध होला । एह तथ्य के उपनिवेश के इतिहास भइल आ बड़ा परिमाण में जनसंख्या के स्थानान्तरित बास रहल अमेरिका आ अष्ट्रेलिया जइसन देशन के सन्दर्भ में स्थापित कइल बहुत सहज बा । साथे ई कौनो राज्य के शासन व्यवस्था के प्रभाव से मुक्त उष्ण सदाबहार वनक्षेत्र जइसन स्थान में स्वतन्त्र रूप में भा एकाङ्गी रूप से बसत आइल लोग के भी बोध करावेला । एकर आउर मापदण्ड इहो बा कि ओह लोग के आपन अलग मातृभाषा, सांस्कृतिक आ सामाजिक/संस्थागत विशेषता सब के कम्ती में आंशिक मात्रा में भी सही, कायम रहल होखेके चाहीं । एकरा साथे ओह लोग के अगल बगल में रहल राज्य के जनसंख्या आ प्रभुत्व कायम कइल संस्कृति से कुछ हद तक पृथक होखेके चाहीं । दोसर महत्वपूर्ण पक्ष ओह लोग के अपना के आदिवासी जनजाति के रूप में स्वपहिचान करावल होखेके चाहीं आ/भा अन्य समूहन द्वारा एह तथ्य के स्वीकार कइल होखेके चाहीं ।

एह परिभाषा में कुछ समस्याजन्य पक्ष सब भी बा । उपर उल्लेखित समूचा मापदण्ड पूरा भइला के बादो कुछ लोग आ समूह अपना के आदिवासी जनजाति नहियो मान सकेलन भा सरकार, विभिन्न संस्था भा विद्वान लोग भी अइसन माने से इनकार कर सकेलन । व्यक्तिगत भा एकल पहचान सामूहिक पहचान से अलगे हो सकेला । एकरा अलावा, इतिहास के अभिलेखन शुरू होखे से भी पहलही से लोग एक-दोसरा के भूमि पर आक्रमण करत, ओह के उपनिवेश बनावत आ ओतहाँ आपन चासबास करत आइल बा । ओहीसुके आदिवासी आ गैर आदिवासी, मौलिक बसीना भा उपनिवेशकर्ता के बीच वर्गीकरण कइल विवेक पर निर्भर करेवाला बात भी ह । तथापि आदिवासी जनजाति के पहचान आ अधिकार के सम्बन्ध में आज बृहत चेतना रहल देखल जाला । ई चेतना समाज से मान्यता के मांग करे खातिर आ बृहत्तर गौरव के अनुभूति का ओर अग्रसर करइले बा ।

अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन महासन्धि नं १६९ के परिभाषा अनुसार एह में उल्लेखित अधिकार निम्नलिखित अवस्था में लागू होखेला :

(१) राष्ट्रीय समुदाय के अन्य वर्ग से अलग सामाजिक, सांस्कृतिक आ आर्थिक अवस्था भइल आ पूर्ण भा आंशिक रूप में आपन प्रथा भा परम्परा भा विशेष कानून भा नियम द्वारा नियमन भइल हैसियत रहल आदिवासी जनजाति; आ

(२) विजय भा औपनिवेशीकरण भा वर्तमान राज्य सीमाना निर्धारण होत बेरा ओह क्षेत्र में वंश परम्परा से आदिवासी के रूप में बसत आइल मानल, आ सम्पूर्ण भा आंशिक रूप में आपन सामाजिक, सांस्कृतिक आर्थिक आ राजनीतिक परम्परा कायम राखत आइल लोग ।

एकरा अलावा, अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन महासन्धि नं १६९ ओह महासन्धि के व्यवस्था के तहत समीटाएवाला समूह के निर्धारण खातिर आदिवासी के रूप में स्वपहचान के आधारभूत मापदण्ड (एकेगो विशेष तत्व के रूप में नइखे) स्वीकार कइले बा ।

नेपाल के आदिवासी जनजाति

राष्ट्रीय जनगणना-२०५८ के अनुसार नेपाल के कुल जनसंख्या (तत्कालीन समय में २ करोड २७ लाख लगत भइल बाँकिर अबहीन अनुमानित २ करोड ८० लाख) के ३६.३१ प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या (आदिवासी जनजाति के रूप में परिचित) बा । नेपाल के कुल ७५ जिलन में से २७ जिलन में आदिवासी जनसंख्या के बाहुल्य बा । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रीय प्रतिष्ठान ऐन-२०५८ जारी कके नेपाल में ५९ आदिवासी जनजाति के पहचान कइला का साथे ओह लोग के मान्यता प्रदान कइल गइल बा । एह ऐन के अनुसार “आदिवासी/जनजाति कहला पर आपन मातृभाषा आ परम्परागत रीतिरिवाज, अलग सांस्कृतिक पहचान, अलग सामाजिक संरचना आ अलिखित इतिहास भइल जाति भा समुदाय के बुझेके चाहीं ।” ओह में से चार आदिवासी जनजाति (मगर, थारू, तामाङ्ग आ नेवार) के जनसंख्या करीब १० लाख से ३६ लाख के बीच में बा त कुछ समुदाय के जनसंख्या एक हजार से भी कम मिलेला । एह ऐन के अनुसूची में ५९ आदिवासी जनजाति के नाम सूचीकृत भइल बा ।

हिमाल

१. बाह्रगाउँले
२. भोटे
३. ब्यासी
४. छैरोतन
५. डोल्पो
६. लार्के
७. ल्होमी (सिङसाबा)
८. ल्होपा
९. मार्फाली थकाली
१०. मुगाली
११. सियार
१२. ताङ्बे
१३. थकाली
१४. थुदाम
१५. तीनगाउँले थकाली
१६. तोप्केगोला
१७. शेर्पा
१८. वालुङ

पहाड़

१. बनकरिया
२. बराम
३. भुजेल/घर्ती
४. चेपाङ
५. छन्त्याल
६. दुरा
७. फ्री
८. गुरुङ
९. हायु
१०. ह्योल्मो
११. जिरेल
१२. कुसबाड़िया
१३. कुसुण्डा
१४. लेप्चा
१५. लिम्बू
१६. मगर
१७. नेबार
१८. पहरी
१९. राई
२०. सुनुवार
२१. सुरेल
२२. तामाङ
२३. थामी
२४. याक्खा

भित्री मधेश

१. बोटे
२. दनुवार
३. दरै
४. कुमाल
५. माझी
६. राजी
७. राउटे

तराई

१. धानुक
२. धिमाल
३. गनगाई
४. झाङ्गड़
५. किसान सन्थाल
६. मेचे
७. राजवंशी (कोचे)
८. सतार (राजवंशी)
९. ताजपुरिया
१०. थारु

राष्ट्रीय औसत के तुलना में नेपाल के बहुसंख्यक आदिवासी जनजाति आर्थिक आ अन्य मानव विकास सुचकांक के परिप्रेक्ष्य में पछुआइल बा। अनुमानित तथ्यांक के अनुसार आधा से बेसी आदिवासी जनसंख्या गरीबी के रेखा से नीचे बा। संरचनात्मक विभेद, न्यून राजनीतिक प्रतिनिधित्व, शिक्षा, तालीम आ रोजगारी के अवसर आ सशक्तीकरण में पहुँच के अभाव के कारण आदिवासी जनता के गरीबी चिरस्थायी भइला का साथे आउर गम्भीर हो गइल बा। राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सन्दर्भ में आदिवासी जनजाति सब दलित से उपर बाँकिर अन्य जातीय समुदाय से नीचे बा।

नेपाल के आदिवासी जनजाति सब मुख्य रूप में ग्रामीण क्षेत्र में बसोबास करेलन आ प्राथमिक रूप में परम्परागत खेती-किसानी में लागल रहेलन। अबहीनो नेपाल के बुहत आदिवासी जनजाति परम्परागत पेशा अपनवले बाड़न। अधिकांशतः परम्परागत खेती-किसानी में सामिल रहलो पर उत्पादन आ पेशा के सन्दर्भ में एतहाँ के ५९ गो आदिवासी जनजातियन के बीच व्यापक विविधता पावल जाला। ऊ लोग शहर से गाँव तक फैलल बाड़न त कुछ लोग शिकारी आ घुमक्कड़ जीवन बिता रहल बाड़न आ परम्परागत स्वरूप के उत्पादन से लेके बोझा ढोएके, व्यापार करेके आ गलैंचा बिनेके काम में भी ओह लोग के लागल पावल जाला।

अन्तरराष्ट्रीय मापदण्ड

आदिवासी जनजाति महासन्धि-१९८९ (नं. १६९) के २० राष्ट्रन से अनुमोदन हो चुकल बा। ई भूमि अधिकार, प्राकृतिक श्रोत-साधन में पहुँच, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगारी के स्थिति आ सीमापार सम्पर्क सहित के व्यापक विषय समीटले बा। मूल अवधारणा सब में परामर्श, सहभागिता आ स्वव्यवस्थापन ह। आदिवासी जनजाति से सम्बन्धित निर्णय प्रक्रिया के सम्पूर्ण तह में ओह लोग के पूर्ण सहभागिता के सुनिश्चित कइल आ ओह लोग से परामर्श कइल सरकार के दायित्व के सिर्जना ई महासन्धि कइले बा।

एह महासन्धि के कई प्रावधान द्वारा सरकार खातिर दायित्व सब के सिर्जना कइल गइल बा आ आदिवासी जनजाति के अधिकार भी सुरक्षित कइल गइल बा। आदिवासी जनजाति के अधिकार संरक्षण करे खातिर आ ओह लोग के निष्ठा के प्रति सम्मान के प्रत्याभूति करे खातिर समन्वयात्मक आ व्यवस्थित कदम के तर्जुमा सम्बन्धित जनता के सहभागिता से करेके जिम्मेदारी सरकार के उपर रहेला।

आपन जीवन, विश्वास, संस्था, आध्यात्मिक कल्याण आ ओह लोग के स्वामित्व में रहल भा ओह लोग द्वारा अन्य किसिम से प्रयोग होत आइल भूमि पर प्रभाव जमावेवाला विकास प्रक्रिया सम्बन्धी निर्णय अपने प्राथमिकता अनुसार करेके अधिकार आदिवासी जनजाति के रहेला। आपन आर्थिक, सामजिक आ सांस्कृतिक विकास पर सम्भव भइला तक नियन्त्रण करेके अधिकार भी ओह लोग के रहेला। एकरा अलावा ओह लोग पर प्रत्यक्ष रूप में प्रभाव जमावेवाला राष्ट्रीय आ क्षेत्रीय विकास योजना आ कार्यक्रमन के तर्जुमा, कार्यान्वयन आ मूल्याङ्कन प्रक्रिया में सहभागी होखेके अधिकार भी ओह लोग के रहेला।

सन २००७ में संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभा से आदिवासी जनजाति के अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र पारित कके संयुक्त राष्ट्र संघ संसारभर के आदिवासी जनजाति के अधिकार प्रवर्द्धन आ संरक्षण करेके सन्दर्भ में समग्र में महत्वपूर्ण कदम उठवले बा। बाध्यकारी ना रहल ई घोषणापत्र आदिवासी जनजातियन के व्यक्तिगत आ सामूहिक अधिकारन के उल्लेख करत बेसी उदार अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के महासन्धि नं. १६९ के तुलना में उल्लेख्य रूप में आगा बढ़ल बा। घोषणापत्र आ महासन्धि नं. १६९ के प्रावधान सब एक-आपस में मेल खाएवाला आ साथेसाथ लागू कइल जा सकेवाला बा। आपन प्रावधानन के कार्यान्वयन खातिर सहयोग करेके सम्बन्ध में घोषणापत्र संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायन के विशेष भूमिका के व्यवस्था कइले बा। विशेष कके, एह सन्दर्भ में अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के महत्वपूर्ण भूमिका रहल बा।

अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के महासन्धि 'आत्मनिर्णय' शब्द के प्रयोग त नइखे कइले, बाँकिर पिछला संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभा के घोषणापत्र एह सन्दर्भ में बिल्कुल स्पष्ट बा। एकर धारा ३ में उल्लेख भइल बा, "आदिवासी जनजाति के आत्मनिर्णय के अधिकार बा। ऊ लोग आपन राजनीतिक हैसियत के निर्धारण स्वतन्त्र रूप में करेलन आ आपन आर्थिक, सामाजिक, आ सांस्कृतिक विकास खातिर स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयास करेलन।" घोषणापत्र में आगे लिखल अनुसार

संयुक्त राष्ट्र संघ के बड़ापत्र विपरीत कौनो क्रियाकलाप में केहु के सामिल हो सकेके अर्थ एह में सामिल बा कहके एकर व्याख्या करेके ना मिली। सार्वभौम आ स्वतन्त्र राज्यन के क्षेत्रीय अखण्डता भा राजनीतिक एकता के भंग करेके, हानी पहुँचावेके हिसाब से कौनो कार्य करेके अधिकार भा प्रोत्साहन ई ना दे सकेला ई बात एह में स्पष्ट कहल गइल बा।

नेपाल में विद्यमान कानूनी आ नीतिगत संयन्त्र

हाले के बरीस में नेपाली समाज के बहुजातीय आ बहुसांस्कृतिक चरित्र, राजनीतिक स्थायित्व आ सामाजिक प्रगति खातिर एह विविधता के सम्मान करेके आवश्यकता प्रति के मान्यता में वृद्धि हो रहल बा। सरकार बहुते महत्वपूर्ण कानूनी आ नीतिगत दस्तावेजन में आदिवासी जनजाति के अधिकार आ आवश्यकता सब के विशेष सन्दर्भ सब के समावेश कइले बा। एकर उदाहरण के रूप में संवैधानिक कानून आ विशेष कानून का साथे सरकार के मुख्य योजना निर्माण सम्बन्धी दस्तावेजन में उल्लेख भइल प्रावधान सब के लिहल जा सकेला।

नौवाँ पंचवर्षीय योजना (वि. सं २०४८-२०५३) से नेपाल सरकार आदिवासी जनजातियन के उपस्थिति के पूर्ण रूप में मान्यता प्रदान कइल शुरू कइले देखल जाला। एकरा बाद के योजनन में आदिवासी जनजातियन के सर्वतोमुखी विकास आ उत्थान खातिर सरकार अधिकतम मात्रा में प्रतिवद्धता सब के समावेश करत आगा बढ़ल शुरू कइलस। मुख्यतया थारू आदिवासियन के प्रभावित करत आइल कमैया प्रथा के सरकार २०५७ साल सावन २ गते उन्मूलन कइलस। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन-२०५५ निर्वाचित स्थानीय निकायन में आदिवासी जनजातियन खातिर विशेष आरक्षण के व्यवस्था कइलस। आन क्षेत्र के तुलना में स्थानीय निकायन में आदिवासी जनजातियन के प्रतिनिधित्व उल्लेख्य रूप में उच्च (२९ प्रतिशत) रहे (बाँकिर स्थानीय निकायन के २०५९ साल आषाढ़ ३१ गते विघटन कइल गइल रहे)।

आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के स्थापना २०५८ साल में भइल। आदिवासी जनजाति के उत्थान आ सशक्तीकरण करेके उद्देश्य सहित स्थापना भइल आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रीय प्रतिष्ठान एगो स्वायत्त सरकारी निकाय ह। ७५ओ जिलन में आदिवासी/जनजाति सम्बन्धी कार्यक्रमन के अनुगमन करे खातिर जिल्ला स्तरीय एकाइयन के स्थापना करे में एकर क्रियाकलाप केन्द्रित बा। ओह एकाई के जिला विकास समिति के निकट सहयोग में काम करेके चाहत रहे बाँकिर ऊ निकाय २०५९ साल से निष्क्रिय हो चुकल बात के उपर उल्लेख हो चुकल बा। आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के निम्नलिखित उद्देश्य सब बा :

» कार्यक्रम सब के तुर्जमा आ कार्यान्वयन कके आदिवासी/जनजाति के सर्वांगीण विकास के प्रवर्द्धन कइल;

» आदिवासी जनजाति के भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला आ इतिहास के संरक्षण आ प्रवर्द्धन कइल;

» आदिवासी जनजाति के परम्परागत ज्ञान, इलिम आ प्रविधि के संरक्षण आ प्रवर्द्धन कइल; आ

» विभिन्न आदिवासी/जनजाति, जातजाति आ सम्प्रदाय के बीच सुमधुर सम्बन्ध, सद्भाव आ सामंजस्य कायम कके देश के समष्टिगत विकास के मूल प्रवाह में आदिवासी जनजाति के सहभागिता के प्रवर्द्धन कइल ।

हाले के बरीस में कइयन गैसस आ पैरवी समूह सब देखल गइल बा । ५९ गो आदिवासी जनजाति के प्रतिनिधित्व करेवाला छाता संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ आदिवासी समुदायन के उत्थान आ सशक्तीकरण के दिशा में क्रियाशील रहल बा ।

द्वन्द्व के पटाक्षेप आ २०६३ साल वैशाख में दोसरका जनआन्दोलन के सफलता के बाद ई प्रक्रिया आउर सशक्त भइल । अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के महासन्धि नं १६९ (सन २००७ सेप्टेम्बर में अनुमोदित) के अलावा नेपाल आदिवासी समुदाय सब आ ओह सब के सदस्यन के अधिकार संरक्षण करेवाला कुछ आउर अन्तरराष्ट्रीय संयन्त्र के भी अनुमोदन कइलस । नेपाल सन्धि ऐन-२०४७ के धारा ९ के अनुसार सन्धियन के प्रावधान सब भी नेपाल कानूने के तरह बाध्यकारी बा । अनुमोदित हो चुकल सन्धियन के प्रावधान सब आन्तरिक कानून के प्रावधान से टकरइला पर जहाँ तक टकराइल बा ओह हद तक आन्तरिक कानून बदर भइल मानल जाला । एह व्यवस्था अनुसार सन्धि के प्रावधान नेपाल के कानून के रूप में ही लागू होला ।

ई प्रगति सब संवैधानिक तह में भी प्रतिबिम्बित भइल बा आ एही क्रम में ई अन्तरिम संविधान आ हाल संविधान सभा संचालन के आधारभूत सिद्धान्त सब में भी प्रवेश पवले बा । नेपाल अधिराज्य के संविधान-२०४७ में नेपाल के बहुजातीय, बहुभाषिक आ बहुसांस्कृतिक देश के रूप में घोषणा भइल रहे बाँकिर अबहीनो तक बहुत अइसन संवैधानिक प्रावधान (हिन्दू अधिराज्य, सरकारी भाषा के रूप में नेपाली) के आदिवासी जनजाति विरुद्ध विभेदकारी रूप में लिहल गइल रहे त कार्यान्वयन संयन्त्र आ राज्य के दायित्व भी सुनिश्चित ना भइल रहे ।

नेपाल के अन्तरिम संविधान-२०६३ आदिवासी/जनजाति के अधिकार के सन्दर्भ में विगत के तुलना में बहुते उदार व्यवस्था कइले बा । बहुतेक आदिवासी समूहन के लम्बा समय से उठावल मांग के पूरा करत नेपाल के धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में घोषणा कइला के अलावा ई राज्य के समूचे संरचना में समानुपातिक समावेशी नीति भी अपनवले बा । मौलिक हक सम्बन्धी भाग के धारा २१ में सामाजिक न्याय के हक के समावेश कइल गइल बा आ ई आदिवासी जनजाति आ अन्य के समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त के आधार पर राज्य के संरचना में सहभागी होखेके हक प्रदान कइले बा । राज्य के दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त आ नीति सम्बन्धी भाग में देश के राज्य संरचना के समूचे अंग में आदिवासी जनजाति आ अन्य सब के समानुपातिक समावेशीकरण के आधार पर सहभागी करावल राज्य के दायित्व (धारा ३३ (घ१) बा आ शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सम्प्रभूता आ रोजगारी में निश्चित समय खातिर आरक्षण के व्यवस्था कके आर्थिक आ सामाजिक रूप से पछुआइल आदिवासी जनजाति के उत्थान करेके नीति का साथे सकारात्मक विभेद के आधार पर विशेष व्यवस्था करेके नीति उल्लेख भइल बा (धारा ३५(१०), (१४) । एही प्रकार से, धारा १४(४क) में सेना में आदिवासी जनजाति आ अन्य के प्रवेश के समानता आ समावेशी सिद्धान्त के आधार पर कानून में व्यवस्था कके सुनिश्चित करेके व्यवस्था कइल गइल बा ।

संविधान सभा स्वयं भी आदिवासी जनजाति के पूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्ति के आधार पर गठन कइल गइल बा। राजनीतिक दल सब खातिर उम्मेदवार चयन करत बेर समावेशी सिद्धान्त पर ध्यान देवेके आ उम्मेदवारन के सूचीकृत करत समय निर्वाचन कानून में व्यवस्था भइल अनुसार आदिवासी जनजाति आ अन्य के समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेके बाध्यकारी व्यवस्था अन्तरिम संविधान में भइल बा (धारा ६३)। ई अन्तरिम संविधान मन्त्रिपरिषद खातिर निर्वाचित ना भइल २६ गो सभासद के मनोनयन करत बेर निर्वाचन से प्रतिनिधित्व होखे ना सकल आदिवासी जनजाति में से मनोनयन करेके कर्तव्य भी सिर्जना कइले बा। परिणामस्वरूप संविधान सभा के ६०१ गो सदस्यन में से एकर सभामुख लगायत करीब २१८ जने आदिवासी जनजाति से प्रतिनिधित्व करेलन।

अन्तरिम संविधान द्वारा नयाँ संविधान के मसौदा तैयार करत समय में संविधान सभा द्वारा पालन कइल जाएवाला कुछ आधारभूत सिद्धान्त भी निर्धारण भइल बा। ई आदिवासी जनजाति आ अन्य के स्वायत्त प्रदेश के चाहना के स्वीकार करत नेपाल के एगो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य के रूप में घोषणा कइले बा। अन्तरिम संविधान द्वारा आगे उल्लेख भइल अनुसार नेपाल के सार्वभौमिकता, एकता आ अखण्डता के अक्षुण्ण राखत स्वायत्त प्रदेशन के सीमा, संख्या, नाम आ स्वायत्त प्रान्तन के संरचना के अलावा अधिकार आ साधनश्रोत के बँटवारा संविधान सभा से कइल जाई (धारा १३८ (१क)।

निष्कर्ष

नयाँ संविधान के मस्यौदा तैयार करेके क्रम में आदिवासी जनजातियन के अधिकार सुनिश्चित करे खातिर व्यापक बहस-बतकही होखेके चाहीं। अन्तरराष्ट्रीय मानव अधिकार कानून आ आउर सान्दर्भिक अन्तरराष्ट्रीय मापदण्ड सब से प्रेरणा लेहल भी ओतने महत्वपूर्ण बा। संविधान में उल्लेख भइल अनुसार व्यवहार में अधिकार उपभोग करे खातिर आदिवासी जनजातियन के सशक्त बनावेवाला उपयुक्त संयन्त्र खातिर संवैधानिक प्रावधान के व्यवस्था करे वास्ते निरन्तर प्रयास सम्बन्धी आवश्यकता सब से महत्वपूर्ण पक्ष ह। उदाहरण खातिर नयाँ संविधान से निश्चित अधिकार सब स्थापित कइला के अलावा ओह सब के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में निगरानी करेके जिम्मेदारी सहित के एगो विशेष निकाय के व्यवस्था भी हो सकेला। कुछ राष्ट्र आपन आदिवासी समुदायन के संविधान के अनुसूची में ही सूचीकृत भी कइल करेलन। (उदाहरण खातिर, भारत के 'सूचीकृत आदिवासी') कौनो भी अवस्था में, आदिवासी समुदायन के सम्भावित सम्पूर्ण शिकायत के समाधान आ ओह लोग के सम्पूर्ण आकांक्षा के संबोधन संविधान अपने करी, अइसन आशा ना करेके चाहीं। आदिवासी जनजातियन के अधिकार प्रति के प्रतिवद्धता संविधान में ही सीमित ना होके एकर कार्यान्वयन सुनिश्चित करे खातिर कानून, नीति आ उपयुक्त सरकारी आर्थिक सहयोग उपलब्ध कार्यक्रम सब में भी विस्तारित भइल आवश्यक बा। साझेदारी आ सहयोग के माध्यम से मतभिन्नता सब के सुल्झावेके उपाय पता लगा सकला पर ही राज्य आ आदिवासी जनता के बीच दीर्घकालीन, सन्तुलित आ सिर्जनशिल सम्बन्ध के विकास हो सकेला।

पुस्तिका-शृंखला के सम्बन्ध में

संविधान सभा के सदस्य लोग आ इच्छुक सर्वसाधारण के संविधान निर्माण प्रक्रिया के सम्बन्ध में आधारभूत जानकारी करावले एह पुस्तिका-शृङ्खला के उद्देश्य ह । एह प्रकाशन सब के संवैधानिक परिणाम के बारे में कौनो किसिम से पूर्व अनुमान करेवाला अवधारणपत्र भा प्रस्ताव भा मनसाय नइखे । ई शृङ्खला संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के 'नेपाल में सहभागितामूलक संविधान निर्माण खातिर सहयोग (एसपीसीबीएन) परियोजना' के समन्वय में नेपाली आ अन्तरराष्ट्रिय संविधानविद् लोग के सामूहिक प्रयास के प्रतिफल ह ।

एह पुस्तिका सब के आउर परिस्कृत बनावे वास्ते प्रतिक्रिया आ टिप्पणी खातिर विशेष अनुरोध कइल जा रहल बा । बेसी से बेसी सुसूचित, प्रतिवद्ध आ रचनात्मक बतकही के प्रोत्साहित करे में एह प्रकाशन सब के सफल भइले पर अपेक्षित उद्देश्य हासिल हो सकेला । प्राप्त टिप्पणी सब के आधार पर एह पुस्तिका सब के नया आ अतिरिक्त संस्करण तइयार कइल जा सकेला ।

एह शृङ्खला के नेपाल के कुछ प्रमुख राष्ट्रभाषा में अनुवाद करेके क्रम में उच्च गुणस्तर कायम राखत सम्बन्धित भाषा के बहुसंख्यक मातृभाषी लोगन के समझ में आवेवाला सही शब्दावली के प्रयोग करेके पूरा प्रयास कइल गइल बा । शब्दावली के उपयुक्त आ सही प्रयोग के बारे में विभिन्न भाषिक समुदायन के बीच में भविष्य मे बतकही आ बहस होएके अपेक्षा कइल जा सकेला । संवैधानिक संवाद केन्द्र के उद्देश्य अइसन बहस के कौनो प्रकार से ओझल कइल ना होके ओह भाषा सब के भी समावेश कके एह प्रयास मे समावेशीकरण आ पहुँच के अधिकतम वृद्धि कइल ह ।

ई पुस्तिका देश में संविधान निर्माण से सान्दर्भिक विषयवस्तु के सम्बन्ध में संवैधानिक संवाद केन्द्रद्वारा तइयार कइल जा रहल शृङ्खलावद्ध पाठ्यसामग्रियन के एगो अंश ह ।

सभासद लोग के साथे एह विषयवस्तु से मतलब राखेवाला सर्वसाधारण लोग के प्रमुख संवैधानिक अवधारणा आ मुद्दा सब में सरिक करावल एह शृङ्खलावद्ध प्रकाशन के उद्देश्य ह । शृखला अन्तर्गत के हर पुस्तिका नेपाल मे बोलल जाएवाला प्रमुख भाषा सब (नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, थारू, मगर, तामाङ, नेवार) आ अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध बा । एह पाठ्यसामग्रियन के श्रव्य संस्करण (कैसेट, सिडी) भी उपलव्ध भइला के अलावा एह सब सामग्रियन के ऑनलाइन पर भी राखल गइल बा ।

पहिल चरण में एह प्रकाशन शृङ्खला में समीटल जाएवाला विषयवस्तु एह प्रकार बा : राज्य आ धर्म, संघीय प्रणाली, संविधान में मानव अधिकार, आदिवासी जनजाति के अधिकार, अल्पसंख्यक लोग के अधिकार, सरकार के प्रणाली, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्थानीय स्वशासन, विविधता आ सामाजिक समावेशीकरण आ सहभागीतामूलक संविधान निर्माण प्रक्रिया ।

संवैधानिक संवाद केन्द्र
तीसरा तला, अल्फा बेटा कम्प्लेक्स, नयाँ बानेश्वर काठमाडौ
टेलिफोन नं. ९७७-१-४७८५४६६/४७८५४८६/४७८५९९८
ई-मेल : **info@ccd.org.np**
वेबसाइट : **www.ccd.org.np**